भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

30.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1752 का उत्तर

रेलवे के समर्पित माल गलियारे

1752. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1951 से माल यातायात के परिवहन साधन के रूप में रेलवे क्षेत्र की हिस्सेदारी 1951 की 86.2 प्रतिशत की तुलना में आज घटकर 27 प्रतिशत रह गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में माल परिवहन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 25 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं और शिपर्स के साथ विश्वास बनाने के लिए समर्पित माल गलियारों (डीएफसी) के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/की जा रही है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): भारतीय रेल ने माल परिवहन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कई व्यापक पहल की हैं। इन प्रयासों में नई रेल लाइनों का निर्माण और मौजूदा मार्गों का मल्टीट्रैक करना शामिल है। निर्बाध मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान करने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है, जबकि गति-शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) के विकास से कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं में सुधार हो रहा है। उच्च घनत्व वाले मार्गों पर सुगम आवाजाही के लिए

गलियारा-आधारित प्रस्ताव अपनाया जा रहा है। चल स्टॉक के आधुनिकीकरण और उच्च अश्वशक्ति (एचएचपी) इंजनों को लगाने से ढुलाई क्षमता और परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता में सुधार हो रहा है। 1951 से वित्त वर्ष 2024-25 में रेल मालढुलाई की मात्रा में 22.1 गुना वृद्धि हुई है।

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, समग्र भारतीय रेल में, लगभग 6.75 लाख करोड़ रु. की लागत की 35,966 कि.मी. कुल लंबाई की 431 रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (151 नई लाइन, 33 आमान परिवर्तन और 244 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 12,769 किमी लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2025 तक लगभग 2.91 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण की कुल लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 25 तक कमीशन लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 25 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइनें	154	16,142	3,036	1,45,318
आमान परिवर्तन	33	4,180	2,997	22,753
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	244	15,644	6,736	1,22,858
कुल	431	35,966	12,769	2,90,929

सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा, भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

समग्र भारतीय रेल पर नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाए जाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी./वर्ष
2014-25	34,428 कि.मी.	8.57 कि.मी./वर्ष (2 गुना से अधिक)

समग्र भारतीय रेल में एकल लाइन खंडों से बहु-रेलपथ खंडों में बदलने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए दोहरीकरण	दोहरीकरण की औसत कमीशनिंग
2009-14	1,875 कि.मी.	375 कि.मी./वर्ष
2014-25	18,558 कि.मी.	1687 कि.मी./वर्ष (5 गुना से अधिक)

समग्र भारतीय रेल में बहु-रेलपथ परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन निम्नानुसार हैं:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	2,461 करोड़ रु./वर्ष
2014-25	20,882 करोड़ रु./वर्ष (8 गुना से अधिक)

इसके अलावा, भारतीय रेल पर यातायात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- रेल प्रणाली में और अधिक मालडिब्बों को शामिल करने के लिए मालडिब्बों में उदारीकृत निवेश योजनाएं (सामान्य प्रयोजन माल डिब्बा निवेश योजना, उदारीकृत विशेष मालगाड़ी परिचालक योजना, ऑटोमोबाइल मालगाड़ी परिचालक) शुरू की गई हैं।
- मालभाड़ा टर्मिनल का विकास और कार्गो वृद्धि करने के लिए 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति शुरू की गई। दिसम्बर 2021 तक 112 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन किए गए।
- कार्गो एग्रीगेटर को सुविधाजनक बनाने के लिए और इस प्रकार, कमोडिटी बास्केट का विस्तार करने के लिए, एक नया परिवहन प्रोडक्ट 'कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट' शुरू किया गया है।

- **माल बुकिंग की सभी प्रक्रियाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए प्रभार, भुगतान, प्रेषण को ढूंठना, घाटशुल्क, विलंब शुल्क, रिफंड कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।**
- ***अन्य बातों के साथ-साथ, "मेरी-गो-राउंड" (एमजीआर) नीति के तहत रियायतें प्रदान की जा रही हैं। खुले और सपाट मालडिब्बों में बैग वाले प्रेषणों के लदान के लिए छूट योजनाएं और कम गमन दूरी रियायत योजनाएँ शुरू की गई हैं। रेल द्वारा ऑटोमोबाइल के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमोबाइल यातायात हेतु मालभाड़ा दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है। थोक सीमेंट (खुले रूप में सीमेंट) के लिए विशेष ढुलाई दर प्रभार की शुरुआत की गई है। रेल-समुद्री-रेल (आरएसआर) मोड में घरेलू कोयला यातायात के लिए टेलीस्कोपिक दर लाभ प्रदान किया गया है। अतिरिक्त यातायात को आकर्षित करने के लिए स्टेशन-से-स्टेशन (एसटीएस) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है। व्यस्त सीज़न अधिभार की समीक्षा की गई है।***

(ग): अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं और शिपर्स के साथ विश्वास बनाने करने के लिए, समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डीएफसी) निगम लिमिटेड ने यह सुनिश्चित किया कि रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार बिना किसी भेदभाव के सभी ग्राहकों के लिए व्यावसायिक अवसर सुलभ हों, रेक की बुकिंग, टर्मिनलों का उद्घाटन आदि जैसे अवसर पूरे समर्पित माल गलियारों में उपलब्ध हों।

*****